>

Title: Need to have a Legislative Council in NCT, Delhi.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो राजनीति और प्रशासन से जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, हमें आजाद हुए 60 साल से ज्यादा का समय हो गया है। जिस समय संविधान बना था, उस समय संघीय ढांचे में अलग-अलग राज्यों में असेम्बलियों का गठन किया गया था। कई राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा, दोनों का गठन किया गया था और कई राज्यों में जनसंख्या के आधार पर केवल विधान सभा का गठन किया गया था। आज समय बदल गया है, उस समय दिल्ली की आबादी करीब 35 लाख थी और आज दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। मेरा मानना है कि इस बारे में दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में बहुत दिनों से कोई बहस नहीं हुई है। जहां विधान सभा है, वहां केवल विधान सभा चली आ रही है और जहां विधान सभा और विधान परिषद है, वहां दोनों काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि प्रशासनिक तौर पर जो फसलें एक बॉडी लेती है, अगर वह फैसलें दो बॉडी लें, तो जरूरी है कि दोनों बॉडीज उसे पास करें, तब कोई कानून बनेगा। सिर्फ एक बॉडी अगर होती है, तो उसका तानाशाह जैसा रवैया हो जाता है। जो मुख्यमंत्री होता है, वह जैसा चाहे असेम्बली से पास करवा लेता है, क्योंकि उसे दूसरी बॉडी में नहीं जाना पड़ता है। हमारे यहां केंद्र में लोकसभा और राज्य सभा है। दोनों जगह से जब तक विधेयक पास नहीं होता, तब तक कानून नहीं बनता है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समय बीत गया है और हमारी मैच्योर डैमोक्रेसी है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जहां विधान सभा है, वहां विधान परिषद भी होनी चाहिए और इस कानून में बदलाव करना चाहिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया: अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।